न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर– 2025/1118

1. इन्द्रसिंह पुत्र मातुराम,
2. रणवीर पुत्र मातुराम,
   समस्त जाति जाट निवासी भैसांवता खुर्द तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं हाल निवासी चिड़ावा रोड़ ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।
2. नायब तहसीलदार सिघांना, जिला झुन्झुनूं।
3. कमला पत्नि अशोक कुमार जाति जाट, निवासी माकड़ों तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 21.01.2022 अपील संख्या 75/2021 उनवानी इन्द्रसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 05.08.2021 प्रकरण संख्या 01/2021 उनवान राजस्थान सरकार बनाम इन्द्र वगैह में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री सुनील कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 27.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2022 एवं तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 05.08.2021 के खिलाफ दिनांक 31.01.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं ने पटवारी हल्का माकड़ो की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2021 के अनुसार वाके ग्राम ढाणी हुक्मा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 729/684 कुल रकबा 0.94 है0 किस्म बंजड़–1 0.89 हैक्टेयर, बारानी–1 0.05 हैक्टेयर में 2000 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमी/खातेदार बनवारी पुत्र श्योदान जाति जाट, निवासी खानपुर ने अवैध रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के चार दिवारी आवासीय निर्माण कर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिक्रमण/निर्माण करने पर तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिनांक 05.08.2021 पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर हाल अपीलांट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2022 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 05.08.2021 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं दिनांक 05.08.2021 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अदालत मातहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2022 व अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली के होने से खारिज होने योग्य है। प्रकरण में अपीलान्टस के विरूद्ध धारा 90 (क) राज. ले. रेवन्यू एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। उक्त सम्पूर्ण जमीन पर आबादी बसी हुई है। कानून से धारा 90 (क) राज. ले. रे. एक्ट के प्रावधान खातेदार के विरूद्ध ही लागू होते है। प्रथम अदालत मातहत ने जमीन हाल ख.न. 729/684 के खातेदारों के विरूद्ध धारा 90 (क) राज. ले. रे. एक्ट 1956 की कार्यवाही नहीं की। अपीलान्ट सद्भाविक क्रेता है। उक्त कानूनी तथ्य पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य की आलौच्य निर्णय पारित करने में नजर अंदाज किया है। इस प्रकार दोनों अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। प्रथम अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट ने अपने जबाब में लिखा था कि जमीन ख.न. 729/684 से अपीलान्ट का कोई तालुक नहीं है। अपीलान्ट ने उक्त जमीन के किसी भी भू–भाग पर कोई निर्माण नहीं किया। अपीलान्ट जिस भूखण्ड पर निवास करते हैं। उस भूखण्ड की एकाकी मालिक सुनिता धनखड़ स्त्री रणवीर सिंह है। प्रथम अदालत मातहत के समक्ष जब उक्त भूखण्ड के वास्तविक मालिक के बारे में जवाब में खुलासा कर दिया उस सूरत में प्रथम अदालत मातहत ने वास्तविक मालिक के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त कानूनी तथ्य पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी कोई गौर नहीं किया। इस कारण दोनों अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है। प्रकरण में शिकायतकर्ता स्वयं पटवारी हल्का माकडों है जो लोक सेवक है। पटवारी हल्का ने अपनी शिकायत व मौका रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि अपीलान्ट के कब्जे के अलावा उक्त जमीन खाली है या आबादी बसी हुई है। जमीन ख.न. 729/684 पूर्णतया आबाद है तथा काफी लोगों के रिहायशी मकान काफी वर्षो से बने हुये हैं। मौके पर उक्त जमीन काफी वर्षो से आबादी के काम में आ रही है। कानून से जहां कृषि भूमि का पूर्णतया उपयोग आबादी के लिये हो रहा है वहां भूमिधारी आबाद व्यक्तियों को बेदखल नहीं कर सकता बल्कि रूपान्तरण नियमों के तहत रूपान्तरण दर की राशि जमा करवा सकता है। दोनों अदालत मातहत ने उपरोक्त तथ्य पर बिना गौर किये आलौच्य निर्णय पारित किये हैं जो खारिज होने योग्य है।

प्रथम अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय दिनांक 05.08.2021 पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। उप तहसील सिघांना के यहां दिनांक 19.07.2021 को भूमिधारी तहसीलदार बुहाना को पत्रावली भेजने बाबत अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को सूचना नहीं दी। कानून से तहसीलदार बुहाना को अपने न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने बाबत सूचना देनी चाहिये थी। प्रथम अदालत मातहत की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.08.2021 को भी आदेशिका में लिखा है कि अतिक्रमी खातेदार अनुपस्थित। इस प्रकार प्रथम अदालत मातहत ने प्रक्रियात्मक विधि के प्रावधानों की अनदेखी की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्य पर कोई टिप्पणी नहीं की। इस प्रकार आलौच्य दोनों निर्णय खारिज

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

होने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आलौच्य निर्णय दिनांक 21.01.2022
पारित करने का कोई आधार दर्ज नहीं किया। प्रथम अदालत मातहत ने आलौच्य
निर्णय दिनांक 05.08.2021 में लिखा है कि अपीलान्ट अन्य की खातेदारी की जमीन
में जबरदस्ती निर्माण कर रहा है। जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों को
अपीलान्ट के प्रति कोई शिकायत नहीं है। जबकि सरकार को चिन्ता है। इस प्रकार
प्रथम अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के निर्णय की भाषा, सार, तर्क व निर्णय
देखने मात्र से ऐसा लगता है कि अदालत मातहत व मातहत कर्मचारी आपस में
किसी भू माफिया से मिलकर सद्भाविक व्यक्ति के अधिकारों को प्रशासनिक कलम
से कूचलना चाहते हैं। उक्त तथ्य पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी कोई गौर नहीं
किया। इस प्रकार दोनों अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय खारिज होने
योग्य है। प्रथम अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध मात्र धारा 90 (क) राज.
ले. रे. एक्ट की कार्यवाही अमल में लाई गई। कानून से धारा 90 (क) राज. ले. रे.
एक्ट के तहत किसी सद्भाविक व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जाता। धारा 91 राज.
ले. रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत ही किसी व्यक्ति को अतिक्रमी माना जा सकता है।
प्रथम अदालत मातहत ने धारा 90 (क) राज. ले. रे. एक्ट 1956 के साथ धारा 91
रा. ले. रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही नहीं की। उपरोक्त कानूनी तथ्य पर प्रथम अपीलीय
न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर कानूनी गलती की है। इस प्रकार दोनों आलौच्य
निर्णय खारिज होने योग्य है।

जमीन हाल ख.न. 729/684 रकबा 0.94 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम ढाणी हुकमा तहत तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्टस के विरूद्ध धारा 90 ए सपठित धारा 91 ले. रेवन्यू एक्ट 1956 के तहत आदेश पारित किया है। धारा 90 ए सपठित धारा 91 ले. रे. एक्ट 1956 की कार्यवाही सरकार व अतिक्रमी के बीच की कार्यवाही है उपरोक्त कार्यवाही में किसी तृतीय पक्षकार को कानूनन पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। जमीन गत ख.न. 351 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा सरहद राजस्व ग्राम ढाणी हुकमा (हुकमा की ढाणी) तहत पुरानी तहसील खेतड़ी हाल तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन तत्कालीन ठिकाना मण्डावा की जमीन थी। उक्त जमीन में से 19 बीघा 5 बिस्वा जमीन ठिकाना से बिड़ला पुत्र मोती नायक को प्राप्त हुई। जिसके गत ख. न. 351/1 कायम हुये मूल ख.न. 351 की जमीन में से 3 बीघा 12 बिस्वा जमीन गोविन्द पुत्र कुरड़ाराम जाति कुम्हार निवासी सिघांना को प्राप्त हुई। जिसके गत ख. न. 351/2 कायम हुये। मूल ख.न. 351 में से 10 बीघा 15 बिस्वा जमीन नागर, कुरड़ा पुत्रगण लादू को प्राप्त हुई जिसके ख.न. 351/3 बने। उक्त मूल ख.न. 351 में से 6 बीघा जमीन माधा पुत्र मिना नाई को प्राप्त हुई जिसमें ख.न. 351/4 कायम हुये। उपर वर्णित अनुसार गत ख.न. 351/2 की जमीन गोविन्द पुत्र कुरड़ा जाति कुम्हार को प्राप्त हुई जिसका रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा था। गोविन्द ने 3 बीघा 12 बिस्वा जमीन में से 12 बिस्वा जमीन मदनलाल पुत्र मालीराम को हिस्सा 1/2 तथा मोहनलाल पुत्र गीगराज हिस्सा 1/4 व रामकुमार पुत्र कुम्भाराम हिस्सा 1/4 के हिसाब से विक्रय कर दी जिसका ना. सं. 208 है। गोविन्द ने बाद में उक्त 3 बीघा 12 बिस्वा जमीन में से 1 बीघा जमीन भगवानाराम, रामपत, गोरधन पुत्रगण देवकरण व रामप्यारी स्त्री यादराम अहीर निवासी कलाखरी विक्रय कर दी जिसका ना. सं. 219 है। बाद में उक्त गोविन्द ने 1 बीघा जमीन ताराचन्द पुत्र जीताराम जाट निवासी मोई सदा को विक्रय कर दी जिसका ना. सं. 225 है। उक्त ख.न. 351/3 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जमीन में से उपर वर्णित अनुसार 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन विक्रय करने के बाद शेष 1 बीघा जमीन बाद में विरासतन ना. सं. 226 के माध्यम से उक्त गोविन्द के पुत्र हुकमाराम व धनसीराम को प्राप्त हुई। उपरोक्त प्रकार

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

से उक्त गोविन्दराम ने स्वयं 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन विक्रय कर दी व 1 बीघा जमीन उसके वारिसानों को प्राप्त हो गई।

दौराने सटलमेन्ट गत ख.न. 326 मिन एवं 351 मिन से मिलाकर ख.न. 561 रकबा 3.68 हैक्टर बनाया दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्धक विभाग ने खसरा पत्रक बनाया उसमें सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से बिना अधिकार के गोविन्द पुत्र कुरडाराम के नाम गत ख.न. 351 मिन की 2.93 हैक्टर जमीन तथा 326 मिन की 0.75 हैक्टर जमीन गोविन्द के नाम गलत दर्ज कर उसके ख.न. 561 कायम किये गये। उपरोक्त प्रकार से सटलमेन्ट विभाग को किसी व्यक्ति की खातेदारी खत्म करने एवं किसी व्यक्ति को खातेदारी देने का कानूनी अधिकार नहीं है सटलमेन्ट विभाग ने गोविन्द को खातेदारी देने का कृत्य क्षेत्राधिकार के बाहर है। ख.न. 729/684 रकबा 0.94 हैक्टर जमीन पूर्व ख.न. 561 से बनी है। उक्त गोविन्द के देहान्त होने के बाद गलत रूप से 3.68 हैक्टर जमीन धनसी, हुक्माराम व बंशी के नाम गलत रूप से दर्ज हो गई। धनसी के छः पुत्रीयां व 2 पुत्र थे। उक्त धनसी के वारीसान ने गलत रिकार्ड के आधार पर ख.न. 729/684 की 0.94 हैक्टर जमीन बिना कब्जा काश्त के उक्त कमला स्त्री अशोक कुमार को गलत रूप से विक्रय के माध्यम से विक्रय कर दी। मौके पर उक्त धनसी के वारीसान का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा मौके पर पहले से ही जमीन पर आबादी बसी हुई है। मौके पर जमीन खाली नहीं है। उक्त कमला स्त्री अशोक कुमार ने विक्रय पत्र दिनांकित 09.02.2021 के माध्यम से ग्राम पंचायत मोई सदा के यहां नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जिस नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का माकड़ो ने रिपोर्ट बनाई की भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। मौके पर कुछ भाग पर प्लोटिंग कर रखी है एवं ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि जमीन ख.न. 729/684 भूमि पर पक्का आवासीय निर्माण व पट्टा शुदा प्लाट कटे हुये हैं आखरीकार ग्राम पंचायत मोई सदा ने दिनांक 22.06.2021 को प्रस्ताव संख्या 2 पारित करके कमला स्त्री अशोक कुमार का नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया।

दिनांक 09.02.2021 को कमला स्त्री अशोक कुमार ख.न. 729/684 का सम्पूर्ण 0.94 हैक्टर रकबा जरिये विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करता है तथा उसके करीब 11 दिन बाद उक्त ख.न. में से जरिये इकरारनामा विक्रय के माध्यम से अनिता स्त्री महेन्द्र से उक्त कमला का पति अशोक कुमार पुत्र फुलसिंह एक बना हुआ मकान खरीदता है। उक्त कमला व उसका पति अशोक कुमार भू–माफिया प्रकृति के व्यक्ति है। जिन्होंने गलत रिकार्ड की आड़ में बिना कब्जा के फर्जी रजिस्टरी बना ली तथा प्रशासन से मिलकर जिन व्यक्तियों ने नोटेरी से जमीन बहुत पहले क्रय की है उनके विरूद्ध धारा 90 ए ले.रे.एक्ट की झूंठी कार्यवाही करवाकर उनसे रूपये हड़पना चाहता है। उपरोक्त प्रकार से कमला स्त्री अशोक कुमार के उपरोक्त व्यवहार व आचरण के कारण उक्त प्रकरण में आवश्यक व उचित पक्षकार नहीं है। उक्त प्रकरण में कमला स्त्री अशोक कुमार को बिना पक्षकार बनाये भी उचित न्याय निर्णय किया जा सकता है। पुलिस कार्यवाही सिघांना में जांच के दौरान धनसी के वारीसान ने जो बयान दिये है उसमें लिखा है कि हमने कमला स्त्री अशोक कुमार को कब्जा दिया तथा ना ही मांग तथा ना ही हमारे सामने इसकी नपती की गई। धारा 90 ए ले.रे. एक्ट की अपील में खातेदारी अधिकार निर्णित नहीं किये जा सकते। अतः अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 21.01.2022 अपील संख्या 75/2021 एवं न्यायालय तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 मुकदमा नम्बर 01/2021 उनवानी सरकार बनाम इन्द्र वगैह को खारिज फरमाया जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जमीन हाल ख.न 729/684 रकबा 0.94 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम ढाणी हुक्मा तहत तहसील बुहाना में स्थित है। पटवारी हल्का माकड़ों ने दिनाक 14.06.2021 को उप तहसील सिघांना के यहां एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "जमीन हाल ख.न. 729/684 वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहत तहसील बुहाना में बिना आवासीय रूपान्तरण के इन्द्र, रणवीर पुत्रगण मातुराम जाति जाट निवासी भैसांवता खुर्द ने 2000 वर्गमीटर जमीन पर चार दीवारी व आवासीय निर्माण नियम विरूद्व कर रहे हैं।' पटवारी हल्का की उक्त शिकायत पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 90 (क) राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय उप तहसील सिघांना के यहां अपीलान्टस के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। सरकारी सम्पति हो या फिर किसी निजी खातेदारी सम्पति दोनों के बारे में राजस्थान सरकार व भारत सरकार दोनों ने समय समय पर सर्कुलेशन जारी किये गये हो कि अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का नरमी का रुख नहीं अपनाये जाये और अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से हटवाया जाये। और रोज आये दिन अखबार व न्यूज चैनलों में कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने पर जेडीए आदि एवं सरकार द्वारा बुलडोजर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। और माननीय राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा और माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा भी अतिक्रमण से सम्बन्धित समय समय पर सख्त आदेश पारित किये गये है। उपरोक्त भूमि मे विक्रय पत्र के बाद बलपूर्वक एवं क्षेत्रिय राजनैतिक दबाव के कारण अतिक्रमण करने में सफल हो गये जबकि अपीलार्थी के पास ख.नं 729/684 से किसी प्रकार का सम्बंध सरोकार नहीं है ना ही कभी पहले खातेदार या सह खातेदार रहे हैं। और उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण से सम्बन्धित वाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर मे विचाराधीन है और अपीलार्थी के पास ख.नं. 729/684 से सम्बन्धित एक भी दस्तावेज नहीं है अपीलार्थी अतिक्रमी है। इसलिए अपील खारिज करने योग्य है। समस्त रिपोर्ट में अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। कृषि भूमि के ऐसे विधि विरूद्ध निर्माण को हटाने का तहसीलदार को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिये तहसीलदार के द्वारा कृषि भूमि पर किये गये अवैध निर्माण हो हटाने के संबंध में की जा रही कार्यवाही और उसकी अपील में पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उक्त अपील सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील विधितः पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

खि. संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का माकड़ो की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2021 के अनुसार वाके ग्राम ढाणी हुक्मा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 729/684 कुल रकबा 0.94 है0 किस्म बंजड़–1 0.89 हैक्टेयर, बारानी–1 0.05 हैक्टेयर में 2000 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमी/खातेदार बनवारी पुत्र श्योदान जाति जाट, निवासी खानपुर ने अवैध रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के चार दिवारी आवासीय निर्माण कर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिक्रमण /निर्माण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं द्वारा

अपीलांट्स को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत नोटिस जारी कर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत सुना गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायालय हाजा के समक्ष इस तरह का कोई साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विवादित भूमि पर उसका निर्माण वैध साबित होता हो। अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि पर बिना भू रूपान्तरण करवाये अवैध निर्माण किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट्स को नोटिस खसरा नम्बर 729/684 कुल रकबा 0.94 है0 में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के निर्माण करना बताया जाकर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं है। प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से गैर कृषि प्रयोजन हेतु निर्माण करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 05.08.2021 द्वारा विवादित भूमि से अपीलान्ट्स को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2022 द्वारा तहसीलदार बुहाना के पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने पर अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने आदेश पारित किये गये। अपीलान्ट्स ना तो कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है ओर ना ही उसके द्वारा किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्माण कार्य किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2022 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसे में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2022 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर